न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 42/2025 बउनवानी काशी सिंह राजपूत बनाम तहसीलदार तलावडा
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह.0 तलावडा

GCMS No-2025/ 137

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 15.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*दिनांक 17.2.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही सहित कुल 6 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना*" तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर संम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/25/169 दिनांक 7.7.2025 कां अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 15.4.2025 मे चाही गयी सूचना के बिन्दु संख्या 1 से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। शेष बिन्दुओं की सूचना राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 2.2.2009 के अन्तर्गत ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण है। अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना सृजित करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो का उत्तर देना अपेक्षित नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 168 दिनांक 7.7.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे उपलब्ध/सृजित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना सृजित करना या अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.4.2025 मे बतायी गयी समस्याऐ का समाधान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.08.29 17:12:44 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner